उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण
(Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority)
5th फ्लोर, राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड

दूरभाष संख्याः— 0135—2710348 ईमेलः— ukrera2017@gmail.com

नियुक्ति / विज्ञापन

विज्ञापन सं0— 41 / रेरा—44 / 2019 दिनांक. 17 अप्रैल, 2023

उत्तराखण्ड भू—सम्पदा नियामक प्राधिकरण, में 'लेखाकार' के एक (01) पद पर 'प्रतिनियुक्ति' के आधार पर नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य के समस्त शासकीय विभागों / निगमों / प्राधिकरणों में कार्यरत अर्ह / पात्र लेखाकारों से उनके नियुक्ति अधिकारी के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से उत्तराखण्ड राज्य भू—सम्पदा नियामक प्राधिकरण, देहरादून के कार्यालय में **दिनांक 17.05.2023** तक निर्धारित प्रपत्र में निम्नानुसार आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैंः—

1— पद का विवरण :—

क्र0सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	योग्यता	अभियुक्ति
01	लेखाकार	कैडर के अनुसार— ग्रेड वेतन—रु0 4200	01	नियमित रूप से लेखाकार पद पर नियुक्त व्यक्ति। लेखाकार पद पर 03 वर्ष पूर्ण कर चुके व्यक्ति को वरियता दी जायेगी।	प्रतिनियुक्ति

2— प्रतिनियुक्ति अवधि :—

प्रतिनियुक्ति पर यथा प्रक्रिया 03 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की जाएगी, जो अधिकतम दो वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी।

3—प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया :—

(1) उत्तराखण्ड भू—सम्पदा नियामक प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त शासकीय विभागों, निगमों एवं प्राधिकरणों में कार्यरत अर्ह / पात्र, कर्मचारियों / अभियन्ताओं से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर साक्षात्कार द्वारा चयन की कार्यवाही सम्पादित करेगा।

(2) सम्यक् रूप से पूर्ण प्राप्त आवेदन पत्रों को ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) आवेदन पत्र में यह स्वप्रमाणित कथन दिया जाना अनिवार्य होगा कि आवेदक के विरुद्ध पूर्व में न तो कोई दण्डादेश पारित हुआ है और न कोई अनुशासनात्मक अथवा सतर्कता कार्यवाही गतिमान / लम्बित है।

(4) नियोक्ता अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही नियुक्ति की जाएगी।

(5) नियुक्ति से पूर्व चयनित अभ्यर्थी के सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति, संतोषजनक सेवा तथा सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान/लम्बित न होने एवं/अथवा दण्डित नहीं हुए होने का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त किया जाएगा।

(6) चयनित अभ्यर्थी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति का आदेश निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(7) चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय कार्मिकों के समान वेतन एवं भत्ते अनुमान्य होंगे परन्तु उनका वेतन अपने पैतृक विभाग में मौलिक पद पर प्राप्त वेतन से कम नहीं होगा।

4– अधिमानी अर्हताः–

(1) कम्प्यूटर पर MS word, Excel, Power Point, Tally में कार्य करने में सक्षम हों। साथ ही हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का ज्ञान हो।

17.4.2023

(सुन्दर लाल सेमवाल)
सचिव